जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 19.09.2024

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले मे वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री केशवनाथ*** के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बखिरा ***श्री श्याम मोहन*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 263/2024 धारा 137(2),87,64(1) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता मो0 नसीम पुत्र मो0 असलम सई बुजुर्ग थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 19.09.2024 को मेहदावल रोड बडहरा मोड के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 18.08.2024 को थाना बखिरा पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना बखिरा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर साक्ष्य संकलन करते हुए मुकदमा उपरोक्त में सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री शैलेन्द्र सिंह, हे0का0 रजनीश कुमार पाठक,का0 अंगद यादव, का0 प्रवीण यादव।

जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 19.09.2024

दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में **थाना महुली पुलिस द्वारा** वारण्टी नाम पता 1. जयप्रकाश पुत्र सतई 2. ओमप्रकाश पुत्र सतई निवासीगण कोल्हुआ थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री समशेर खान, का0 अजीत गुप्ता।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3312 द्वारा** सड़क मार्ग दुर्घटना में चार पहिया वाहन व बाईक अनियंत्रित होकर आपस में टकरा जाने के कारण **घायल 01 व्यक्ति को इलाज हेतु भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 3312 को थाना बखिरा क्षेत्रांतर्गत देवडीह से इवेन्ट संख्या 47914 से कालर द्वारा सड़क मार्ग दुर्घटना में चार पहिया वाहन व बाईक अनियंत्रित होकर आपस में टकरा जाने के कारण 01 व्यक्ति (1- निखिल कन्नौजिया पुत्र रमेश, ग्राम पनिका, थाना सहजनवा, गोरखपुर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को इलाज हेतु एम्बुलेंस 108 की सहायता से सीएचसी घघसरा भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना बखिरा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सुझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ- आ0 राहुल यादव, हो0चा0 अजय त्रिपाठी।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 65 वाहनों से 79,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 19.09.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 65 वाहनों से 79,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।